भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5339

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत भूमि

5339. श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सरकारी और निजी विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रभावित लोगों को मुआवज़ा प्रदान करने के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रभावित लोगों को कोई मुआवज़ा प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 जो 01.01.2014 से लागू है, अधिसूचित किया है। प्रभावित परिवारों को भुगतान की जाने हेतु भूमि प्रतिकर के बारे में प्रावधान आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची-I के अनुसार शासित है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से पूर्व भूमि प्रतिकर प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार शासित था। तथापि, उपरोक्त दो अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। जम्मू और कश्मीर में भूमि अर्जन और प्रतिकर मुद्दें जम्मू और कश्मीर भूमि अधिनियम, 1991 के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाते हैं।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अन्य सुरक्षा उपायों के साथ-साथ उनकी भूमि/परिसंपत्तियों का उचित प्रतिकर/प्रतिस्थापन लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित हैं। अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्वव्यस्थापन (आरआर) उपबंध के ब्यौरे में विस्थापित परिवारों के लिए वास्तविक प्रतिस्थापन के मामले में घर का प्रावधान, भूमि विकल्प के लिए भूमि, विकसित भूमि के लिए प्रस्ताव, वार्षिकी अथवा रोजगार का विकल्प, विस्थापित परिवारों के लिए निर्वाह अनुदान और ढुलाई लागत, शिल्पकारों/छोटे व्यापारियों के लिए एकबारगी अनुदान, प्रभावित परिवारों को एकबारगी पुनर्वासन भत्ता, जल-विद्युत/सिंचाई परियोजनाओं आदि के मामले में मत्स्य अधिकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार अतिरिक्त निर्वाह का अनुदान, इसी प्रकार के पारिस्थितिकीय जोन में पुनर्वास के लिए तरजीह जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों तथा आरएण्डआर सहायता के लिए पात्र होंगे।

परियोजना प्राधिकारी जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्णीत तथा उनके द्वारा की गई मांग के अनुसार भूमि प्रतिकर के लिए अपेक्षित राशि जमा करते हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकारी पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रतिकर संवितरित करते हैं।

निजी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रतिकर का भुगतान संबंधित राज्य सरकारों की नीति के अनुसार निजी कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) : जी हां विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि हेतु प्रभावित परिवारों को भूमि कर का भुगतान कर दिया गया है। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5339 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किए गए मुआवजे का यूटिलिटी-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	यूटिलिटी	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किए गए मुआवजे की राशि (करोड़ रुपए में)				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1.	एनएचपीसी लि.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	24.6658	शून्य	24.6658
2.	एनएचपीसी लि.	जम्मू और कश्मीर	2.1732	0.6679	0.2575	शून्य	3.0986
3.	एनएचपीसी लि.	पश्चिम बंगाल	6.2957	1.249	0.1937	शून्य	7.7384
4.	एनएचपीसी लि.	सिक्किम	शून्य	शून्य	6.7978	शून्य	6.7978
5.	एनएचपीसी लि.	हिमाचल प्रदेश	32.5936	1.1198	0.2847	शून्य	33.9981
6.	एनटीपीसी लि.	बिहार	2.66	0.54	21.04	शून्य	24.24
7.	एनटीपीसी लि.	छत्तीसगढ़	शून्य	0.46	1.77	14.3	16.53
8.	एनटीपीसी लि.	महाराष्ट्र	शून्य	66.76	शून्य	शून्य	66.76
9.	एनटीपीसी लि.	मध्य प्रदेश	123.77	शून्य	5.13	शून्य	128.9
10.	एनटीपीसी लि.	ओडिशा	शून्य	शून्य	60.81	शून्य	60.81
11.	एनयूपीपीएल	उत्तर प्रदेश	47.67			7.90	55.57
12.	एनटीपीएल	तमिलनाडु	शून्य	35.0557	शून्य	शून्य	35.0557
13.	एसजेवीएन लि.	बिहार	6.52	0.19	27.53	शून्य	34.24
14.	एसजेवीएन लि.	हिमाचल प्रदेश	6.93	शून्य	शून्य	शून्य	6.93
15.	डीवीसी	झारखंड	5.67	20.36	1.53	39.99	67.55
16.	डीवीसी	पश्चिम बंगाल	0.63	0.14	शून्य	शून्य	0.77
17.	पीजीसीआईएल	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	1.8255	शून्य	1.8255
18.	टीएचडीसीआईएल	उत्तराखंड	0.92	0.12	शून्य	शून्य	1.04
19.	टीएचडीसीआईएल	उत्तर प्रदेश	125.36	शून्य	19.12	शून्य	144.48
20.	बीबीएमबी	हिमाचल प्रदेश	3.42	2.32	4.99	12.67	23.40

****